निविदा प्रपत्र 	निविदा प्रपत्र संख्या——

कार्यालय, प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र

इन्दिरानगर, लखनऊ

**पत्र संख्या—प्र0के0/खाद्य एवं अखाद्य सामग्री/निविदा/2014—15/ 	दिनांकः**

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यालय प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दिरा लखनऊ में आयोजित आशा प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपस्थित प्रतिभागियों हेतु खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु पूर्ण—कालिक निविदा प्रपत्र।

1. निविदा पुस्तिका क्रय करने वाली फर्म/प्रतिष्ठान का नाम ——————————————————————
   पता व टेलीफोन संख्या ————————————————————————————————————
2. निविदा पुस्तिका का मूल्य रू0 1000/—
3. भुगतान की रसीद संख्या —————————————— दिनांक ——————————
4. निविदा प्रपत्र विक्री की तिथि एवं स्थान—निविदा सूचना की प्रकाशन तिथि से दिनांक 04.09.2014 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से साय 4.00 बजे तक प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, सी0 ब्लॉक, इन्दिरा लखनऊ के कार्यालय से नगद भुगतान कर प्राप्त की जा सकती हैं।
5. यह निविदा विभागीय वेबसाइट uphealth.up.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है, जिसका निर्धारित मूल्य रू0 1000/— प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दिरा लखनऊ के पक्ष में जारी बैंक ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट संलग्न न होने की दशा में निविदा प्रपत्र पर विचार नही किया जायेगा एव उसे अवैध घोषित कर दिया जायेगा।
6. निविदा जमा करने का स्थान — कार्यालय प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, सी0 ब्लॉक, इन्दिरा लखनऊ के प्रशासनिक कार्यालय
7. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि— 05.09.2014 की अपराह 2:00 बजे तक।
8. निविदा खोलने की तिथि 05.09.2014 की अपराह 3:00 बजे, प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, सी0 ब्लॉक, इन्दिरा लखनऊ के प्रशासनिक कार्यालय में।
9. अर्नेस्ट मनी की धनराशि— खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु रू.20,000/—(रूपये बीस हजार मात्र) की राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ.डी.आर. जो प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, सी0 ब्लॉक, इन्दिरा लखनऊ के पद नाम से बंधक हो।
10. प्रशिक्षण केन्द पर आयोजित आशा एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु अनुमानित लागत रू.12,00,000/— (रूपये बारह लाख) मात्र है जो कम या ज्यादा हो सकती है। सामग्री की आपूर्ति एकमुश्त न होकर प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण की अवधि एवं प्रतिभागियों की संख्या के आधार पर दिए गए आदेशानुसार करनी होगी। प्रशिक्षण न होने पर अथवा किसी कारणवश निरस्त होने की स्थिति में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. धरोहर धनराशि — आदेशित धनराशि का 10 प्रतिशत एफ.डी.आर.(राष्ट्रीकृत बैंक) जो प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, सी0 ब्लॉक, इन्दिरा लखनऊ के पद नाम से बंधक हो (इस धनराशि मे सफल निविदा दाता की अर्नेस्ट मनी से समायोजित की जायेगी) तथा यह धनराशि विभाग के पास कार्य समाप्ति की तिथि से छः माह तक के लिए बन्धक होगी।
12. कार्यालय प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दिरा लखनऊ केन्द्र की आवश्यकतानुसार संलग्न सूची के अलावा अन्य सामग्री भी न्यून्तम दर (बाजार दर) पर गुणवत्ता मानक यथा एगमार्क/आई.एस.आई. मार्क उच्च श्रेणी की आवश्यकतानुसार सामग्री 01 वर्ष तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपलब्ध कराना होगा।
13. विस्तृत विवरण के लिए संलग्न निविदा के नियम व शर्तें पढ़ें।

उपरोक्त से सहमत हूँ/ हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा के नियम व शर्ते

1. कार्यालय प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दिरा नगर, लखनऊ में आशा प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों हेतु खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की प्रति बैच की आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु पात्र पंजीकृत ठेकेदारो से/ सीलबन्द/ मुहरबन्द निविदायें दिनांकः05.09.2014 की अपराह 2.00 बजे तक कार्यालय में रखे सील बंद डब्बे में डाली जायेगी, जो कि उसी दिन अपराह 3.00 बजे निविदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियो के समक्ष गठित समिति द्वारा प्रधानाचार्य, संम्भा0स्वा0एवंप0क0प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ के कार्यालय में खोली जायेगी। सम्बन्धित फर्म के प्रतिनिधि प्राधिकार पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ अवश्य साथ लाये।
2. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. टेलीफोन सुविधा के साथ कार्यालय प्रधानाचार्य, सं0 स्वा0 एवं प0 क0 प्रशिक्षण केंद्र, सी.ब्लॉक इन्दिरा नगर लखनऊ के निकटतम स्थान पर आपूर्ति स्थल होने वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। निविदादाता को अपने निवास/दुकान का पूर्ण पता एवं टेलीफोन संख्या देना अनिवार्य है।
4. आपूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार मांगी जाने वाली वस्तु 24 घण्टे के अन्दर समस्त सामग्री की व्यवस्था स्वंय साइट (कार्यालय/मेस के स्टोर रूम) पर करनी होगी। ठेकेदारों से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य मे सामग्रियों के भाव परिवर्तन आदि को दृष्टिगत रखते हुए ही दरें डाले। निविदा में अंकित दरें एकमुश्त (समस्त कर एवं ट्रान्सपोर्टेशन सहित) उल्लिखित हों। अलग से कोई पैकिंग/भाड़ा देय नहीं होगा।
5. खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की संलग्न सूची के अलावा अन्य सामग्री भी न्यूनतम दर (बाजार दर) पर गुणवत्ता मानक यथा एगमार्क/आई0एस0आई0 मार्क उच्च श्रेणी की सामग्री आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना होगा।
6. निविदा प्रपत्र, कार्य विवरण एवं निविदा शर्तें रू.1000/– (रूपये एक हजार) मात्र नगद जमा करके प्रधानाचार्य, संम्भा0स्वा0एवंप0क0 प्रशिक्षण केंद्र, सी.ब्लॉक इन्दिरा नगर लखनऊ के कार्यालय में विज्ञापन प्रकाशन तिथि से दिनांकः04.09.2014 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से साय 4.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है तथा विभागीय वेबसाइट uphealth.up.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है, जिसका निर्धारित मूल्य रू0 1000/– का बैंक ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, संम्भा0स्वा0एवंप0क0प्रशिक्षण केंद्र, सी.ब्लॉक इन्दिरा नगर लखनऊ के पक्ष मे निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा। चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट सलंग्न न होने की दशा मे निविदा प्रपत्र पर विचार नही किया जायेगा एवं उसे अवैध घोषित कर दिया जायेगा।
7. निविदा प्रपत्र के साथ निविदादाताओं को अर्नेस्ट धनराशि के रूप मे रू.20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैक की एफ0डी0आर0 प्रधानाचार्य सं0 स्वा0 एवं प0 क0 प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ के पद नाम से बन्धक की दशा मे ही स्वीकार की जायेगी। जिन फर्मो की निविदा विभाग द्वारा स्वीकृत की जायेगी उनकी अर्नेस्ट धनराशि, धरोहर धनराशि मे समायोजित होकर कार्य समाप्ति की तिथि से छः माह तक विभाग में जमा रहेगी तथा असफल निविदादाताओं की अर्नेस्ट धनराशि वापस कर दी जायेगी।
8. निविदाता अपने लेटर पैड पर तथा रबर स्टैम्प लगाकर आवेदन पत्र देकर तथा अधिकारी से आदेश प्राप्त करने के उपरान्त ही निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है।

9. निविदाताओ के आयकर विभाग मे पंजीयन प्रमाण–पत्र (PAN No.) किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
10. निविदादाता को मूल संबंधित कर (VAT) एवं उ0प्र0 व्यापार कर पंजीयन प्रमाण–पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
11. कोई भी अधिवक्ता जो राज्य बार कौंसिल मे पंजीकृत है, निविदा डालने के पात्र नहीं हैं।
12. निविदाता को रू.10/– के राजकीय कोषागार से खरीदे स्टाम्प पेपर पर नान कन्वीक्शन सर्टिफिकेट में इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म शासकीय/ गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा कभी ब्लैक लिस्ट नही की गई और न ही इससे सम्बधित कोई कार्यवाही विचाराधीन है तथा फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एव संगठित अपराधिक गतिविधियेां मे लिप्त नही है एवं निविदाता राज्यबार काउन्सिल मे पंजीकृत नही है।
13. निविदादाता द्वारा विगत तीन वर्षो में खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की आपूर्ति से संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश एवं किसी एक वर्ष में कम से कम रू0 10 लाख का आपूर्ति आदेश तथा इसके गुणवत्तापरक एवं संतोषजनक कार्य सम्पन्न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रतियां अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नही दिया जायेगा।
14. निविदाता फर्म को सम्बधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर संलग्न करना होगा।
15. प्रत्येक निविदादाता को **एक मुहर बन्द लिफाफे मे तीन मुहर बदं निविदाये उपलब्ध करानी होगी जिसमें प्रथम ''तकनीकी निविदा'' द्वितीय निविदा ''वित्तीय निविदा'' तथा तृतीय ''वित्तीय निविदा'' की सीडी (Excel format) में होगी।** जिन निविदादाताओं की तकनीकी निविदा समिति द्वारा अनुमोदित की जायेगी उसी से संबंधित वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
16. अपूर्ण अथवा संदिग्ध निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। निविदा के वित्तीय भाव पत्र पर ऊपर से कागज नहीं चिपकाया जायेगा। वित्तीय भाव पत्र मे विवरण तथा दरें निर्धारित स्तम्भों में निर्धारित स्थान पर साफ–साफ भरी जानी चाहिए। दरों में कटिंग मान्य नही होगी। पृथक से पैड या कागज पर किसी रूप मे दी गई दरों पर विचार नहीं किया जायेगा। वित्तीय भाव पत्र में वांछित दरों का विवरण निर्धारित यूनिट के अतिरिक्त अन्य प्रकार में कदापि न प्रस्तुत किया जाए।
17. निविदा खोलते समय टेप रिकार्ड/वीडियोग्राफी पूर्णतः वर्जित है।
18. रिलेशन प्रमाण पत्र, स्वयं के पते का प्रमाण पत्र, प्रपत्रों के वास्तविक होने का प्रमाण पत्र, निविदादाता का सत्यापित फोटो, फोटो हेतु फार्म (निविदा फार्म के साथ दिये गये प्रारूप पर ही) संलग्न करना होगा।
19. फर्म होने की दशा मे पार्टनरशिप डीड सर्टीफिकेट/पावर आफ एटार्नी अथवा स्वयं एक मात्र प्रोपराइटर होने की दशा में इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. वित्तीय भाव–पत्र मे निर्धारित दरों के स्थान पर बाजार दर के अनुरूप न्यूनतम दरें भरनी होंगी।
21. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत होगी उसे आशा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी आवश्यकतानुसार सामग्री की आपूर्ति भी निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर पर करनी होगी।
22. सशर्त निविदायें कदापि स्वीकार्य नहीं होगी।

23. अधोहस्ताक्षरी न्यूनतम दरें स्वीकृत करने को बाध्य नहीं है तथा किसी/समस्त निविदा को बगैर कारण बताए निरस्त कर सकता है। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/निविदा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
24. निविदादाता को वित्तीय हैसियत का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रू0 10.00 लाख का प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य है।
25. न्यूनतम दर वाली फर्म द्वारा गुणवत्तापरक, सन्तोषजनक एवं समय से सामग्री की आपूर्ति न करने पर विभाग द्वारा पेनाल्टी इम्पोज करते हुए जमा धनराशियों को जब्त करते हुए किसी अन्य फर्म से कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा एवं इस विषय पर पूर्व फर्म/ठेकेदार का कोई दावा स्वीकार नही होगा।
26. ठेकेदार के बीजक से नियमानुसार करों की कटौती की जायेगी।
27. कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित हेतु समय–समय पर आपूर्तित सामग्री का परीक्षण, गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा गुणवत्ता में कोई भी कमी पाये जाने पर पूर्ण दायित्व ठेकेदार का ही होगा।
28. निविदा स्वीकृत के पूर्व/उपरान्त यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि असत्य प्रपत्र लगाकर निविदा प्राप्त की गयी है तो निविदा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर जमानत राशि को शासन के पक्ष जब्त कर ली जायेगी तथा कृत कार्यों के किसी भी दायित्व का भुगतान भी नही किया जायेगा।
29. यदि समिति उचित समझेगी तो वांछित नमूना मॉग सकती है ।
30. निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता को सूचना प्राप्त होने के 3 दिनों के अन्दर अनुबन्ध हेतु नियमानुसार Non Judicial Stamp Paper पर अनुबन्ध करना होगा। किसी भी कमी/विलम्ब की दशा में अर्नेस्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
31. कार्य आपूर्ति आदेश मिलने पर सम्बन्धित ठेकेदार को आदेश प्राप्त होने के दिन अथवा आदेश में दी गई अवधि के अन्दर आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। आपूर्ति में तनिक भी विलम्ब/ ढ़ील अथवा कमी व खराबी की स्थिति में अन्य स्रोतों से आपूर्ति करा ली जाएगी तथा मूल्यों में पाये गए अन्तर को ठेकेदार की जमानत की धनराशि तथा अन्य देयकों से काट लिया जाएगा। यदि कटौती सम्भव न हो तो उतनी ही धनराशि ठेकेदार को जमा करनी होगी।
32. निविदा के सम्बन्ध में अथवा आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विवाद आने की स्थिति में प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र अथवा निविदा समिति का निर्णय अन्तिम व अपरिहार्य व सर्वमान्य होगा। किसी भी प्रकार के वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।
33. निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति के साथ इनवाईस की तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। जिसमें प्रथम प्रति, द्वितीय प्रति व तृतीय प्रति अंकित होगी। बीजक पर TIN एवं PAN नम्बर अंकित होना अनिवार्य होगा।
34. कार्य एवं आपूर्ति के लिए बीजकों पर निविदादाता द्वारा यह प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि बीजक में उल्लिखित दरें अनुमोदित दरों के अनुसार हैं।
35. लिपिकीय त्रुटि होने पर कार्यालय/ निविदा समिति द्वारा सुधारा जा सकता है।

रिलेशन सर्टिफिकेट

प्रमाणित किया जाता है कि मेरा कोई भी सम्बन्धी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मे जिला– लखनऊ में कार्यरत नहीं है।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नामः—————————————

पताः– ——————————————————

स्वयं के पते का प्रमाण–पत्र

संविदा अवधि में मेरा पता निम्नानुसार रहेगा तथा इस पते पर भेजे गये समस्त पत्र चाहे मुझे प्राप्त हुये हों, चाहें न प्राप्त हुये हों, मेरे लिये बाध्यकारी होगें।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नामः—————————————

पताः– ——————————————————

——————————————————

——————————————————

——————————————————

प्रपत्रों के वास्तविक होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अर्नेस्ट मनी छोड़ कर मेरे द्वारा कुल.............................. पन्नों के अर्हताओं के प्रपत्र लगाये गये हैं जो कि वास्तविक है। कोई भी प्रपत्र किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर निविदा शर्तो के अनुसार की गयी कार्य्रवाही मुझे स्वीकार्य हेगी।

दिनांकः

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नामः–––––––––––––––––

पताः– –––––––––––––––––––––––––

निविदादाता का सत्यापित फोटो, फोटो हेतु फार्म

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ....

निवासी...
(पता अंकित करें) को मैं भली भांति जानता हूॅ तदृनुसार इनके हस्ताक्षर व फोटो अंकित विवरण के अनुसार सत्यापित किये जाते है।

फोटो हेतु स्थान

ठेकेदार के हस्ताक्षर

श्री...के सत्यापित हस्ताक्षर

दिनांकः

अधिकारी के हस्ताक्षरः

अधिकारी का नामः–

पदनाम की मुहरः–

नोटः– फोटो को चस्पा किये स्थान पर अलग से सत्यापित करना है।

तकनीकी भाव–पत्र

कार्य का विवरण– कार्यालय प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दिरा नगर, लखनऊ में आशा प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों हेतु खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की प्रति बैच की आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु।

1	निविदादाता फर्म का पूरा नाम	
2	पता	
3	दूरभाष संख्या	
4	मोबाइल नम्बर	
5	फैक्स नम्बर	
6	ई–मेल	
7	पार्टनर / प्रोपराइटर का पूरा नाम व पता (फर्म होने की दशा मे पार्टनरशिप डीड सर्टीफिकेट / पावर आफ एटार्नी अथवा स्वयं एक मात्र प्रोपराइटर होने की दशा मे इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।)	
8	डाउनलोड टैंडर प्रपत्र की स्थिति में टैण्डर प्रपत्र मूल्य के बराबर धनराशि (रू.1000 / –) का बैक ड्राफ्ट सेख्या व दिनांक।	
9	निविदादाताओं को अर्नेस्ट धनराशि के रूप मे रू.20,000 / – (रूपये बीस हजार) मात्र की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैक की एफ0डी0आर0 जो प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ के पदनाम से बन्धक हो, मूलरूप में संलग्न करें।	
10	आयकर विभाग मे पंजीयन प्रमाण–पत्र (PAN) किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करें।	
11	उ0प्र0 व्यापार कर पंजीयन प्रमाण–पत्र किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करें। VAT /TIN	
12	फर्म को रू.10 / – के राजकीय कोषागार से खरीदे स्टाम्प पेपर पर नान कन्वीक्शन सर्टिफिकेट में इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म शासकीय / गैर	

	शासकीय सस्थाओं द्वारा कभी ब्लैक लिस्ट नही की गई और न ही इससे सम्बधित कोई कार्यवाही विचाराधीन है तथा फर्म सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियो, असामाजिक कार्यो एव संगठित अपराधिक गतिविधियें मे लिप्त नही है एवं निविदाता राज्यबार काउन्सिल मे पजीकृत नही है।	
13	निविदादाता द्वारा विगत तीन वर्षो में खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की आपूर्ति से संबंधित विभाग/ कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश एवं किसी एक वर्ष में कम से कम रू. 10/– लाख का आपूर्ति आदेश तथा इसके गुणवत्तापरक एवं संतोषजनक कार्य सम्पन्न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रतियां।	
14	फर्म को सम्बधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रति किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर संलग्न करना होगा।	
15	निर्धारित प्रारूप पर – • रिलेशन प्रमाण पत्र • स्वयं के पते का प्रमाण पत्र, • प्रपत्र वास्ताविक होने का प्रमाण पत्र • निविदादाता का सत्यापित फोटो	
16	राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रू0 10.00 लाख का वित्तीय हैसियत प्रमाण–पत्र मूलरूप में।	

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निविदा प्रपत्र में दी गई सभी शर्ते मेरे द्वारा पढ़कर भली–भँाति समझ ली गयी है और मुझे पूरी तरह मान्य है। उपर्युक्त वांछित विवरण में मेरे द्वारा कोई तथ्य गोपन कर निविदा प्रस्तुत नहीं की जा रही है। यदि किसी स्थिति/चरण पर कोई सूचना असत्य पायी जाए तो मेरे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर जो भी कार्यवाही की जाएगी मुझे विधि मान्य होगी। मैं निविदा शर्तो एवं विशिष्टताओं के अनुसार कार्य को पूरा करने का वचन देता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

रबर मुहर

पूरा पता ––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––

तकनीकी भाव पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का क्रम एवं चैक लिस्ट

क्र0 सं0	विवरण	(✓) का निशान लगाएं	
1	तकनीकी भाव पत्र	संलग्न	उपलब्ध नहीं
2	फर्म होने की दशा में पार्टनरशिप डीड सर्टीफिकेट / पॉवर–ऑफ–एटॉरनी अथवा स्वयं एक मात्र प्रोप्राइटर होने की दशा में इस आशय का शपथ पत्र	संलग्न	उपलब्ध नहीं
3	वास्तविक टैंडर प्रपत्र अथवा मूल्य के बराबर धनराशि का बैक ड्राफ्ट	संलग्न	उपलब्ध नहीं
4	निविदादाताओं को अर्नेस्ट धनराशि के रूप मे रू.20,000 / –(रूपये बीस हजार) मात्र की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैक की एफ0डी0आर0 प्रधानाचार्य सं0 स्वा0 एवं प0 क0 प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ के पद नाम से बन्धक की दशा मे मूलरूप में	संलग्न	उपलब्ध नहीं
5	आयकर विभाग मे पंजीयन प्रमाण–पत्र (PAN) की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति ।	संलग्न	उपलब्ध नहीं
6	उ0प्र0 व्यापार कर पंजीयन प्रमाण–पत्र (VAT/TIN) की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति।	संलग्न	उपलब्ध नहीं
7	रू0 10 / – के राजकीय कोषागार से खरीदे स्टाम्प पेपर पर गैर सिद्ध दोश प्रताणपत्र (Non conviction certificate)	संलग्न	उपलब्ध नहीं
8	निविदादाता द्वारा विगत तीन वर्षो में खाद्य एवं अखाद्य सामग्री की आपूर्ति से संबंधित विभाग / कार्यालय द्वारा जारी कार्यादेश एवं किसी एक वर्ष में कम से कम रू0 10 लाख का आपूर्ति आदेश तथा इसके गुणवत्तापरक एवं संतोषजनक कार्य सम्पन्न किये जाने सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रतियां।	संलग्न	उपलब्ध नहीं
9	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छायाप्रति।	संलग्न	उपलब्ध नहीं
10	रिलेशन प्रमाण पत्र	संलग्न	उपलब्ध नहीं
11	स्वयं के पते का प्रमाण पत्र,	संलग्न	उपलब्ध नहीं
12	प्रपत्रों के वास्ताविक होने का प्रमाण पत्र	संलग्न	उपलब्ध नहीं
13	निविदादाता का सत्यापित फोटो, फोटो हेतु फार्म	संलग्न	उपलब्ध नहीं
14	वित्तीय हैसियत का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत रू.10 / – लाख का प्रमाण–पत्र मूलरूप में	संलग्न	उपलब्ध नहीं
15	वित्तीय भाव पत्र अलग सीलबंद लिफाफे में	संलग्न	उपलब्ध नहीं
16	वित्तीय भाव पत्र एक्सैल फार्मेट की सीडी अलग सीलबंद लिफाफे में	संलग्न	उपलब्ध नहीं

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम ——————————————————

रबर मुहर

पूरा पता ——————————————————

——————————————————